न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्रक 1201६ निगरानी

(18)

निग – 2198 – II – 16

1. राजकुमार पिता ददोलेराम ब्रा0
2. गुप्तनाथ पिता शिवविशाल राम ब्रा0
3. वृजेन्द्रनाथ शिवविशाल राम ब्रा0

सभी निवासी ग्राम सहुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)...

....आवेदकगण / उत्तरवादीगण

वनाम

1. राकेश कुमार उर्फ अच्युता दत्रक पुत्र वृजमोहन ब्रा0 निवासी ग्राम सहुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)..............................

....अनावेदक / अपीलान्ट

श्री एस.पी. द्विवेदी एड. द्वारा आज दि04.07.16 को प्रस्तुत

रीडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू म.प्र. ग्वालियर

4.7.16

पूननिरिक्षण विरूद्ध आदेश देवसर के प्रकरण क्रमांक 192 / अपील / 013–14 आदेश दिनांक 29.06.2016

पूननिरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0संहिता 1959।

मान्यवर,

प्रकरण के सक्षम तथ्य निम्नोकित है:–

1. यह कि प्रश्नगत विवादित भूमि के वावद अनावेदक / अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार तहसील देवसर के न्यायालय में 28.12.2013

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(24)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2198-दो/16 **जिला** - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/06/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर के प्रकरण क्रमांक 193/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	